

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/77/2014

दर्ज दिनांक:-05.08.2014

1. सोहनलाल पता- .....प्रार्थी  
बनाम  
2. नगरपरिषद पता- .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

भूपत कुमार जैन

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-06.03.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण व उनके वकील को कई बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर